

जुलाई 2024

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स:

- केंद्रीय बजट 2024-25
 - केंद्रीय बजट 2024-25
- मैक्रोइकोनॉमिक विकास
 - आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24
- वित्त
 - ऐच्छिक और बड़े डफिल्टरों से नपिटने के लिये दशिया-नरिदेश
 - धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर दशिया-नरिदेश जारी
- शिक्षा
 - स्वतंत्र निकाय का गठन
- मीडिया एवं प्रसारण
 - प्रसारण और केबल सेवाओं के लिये नयामक फ्रेमवर्क में संशोधन
- खान
 - खानों और खनजिों पर कर लगाने की राज्य की शक्तको बरकरार
- नवीन एवं अक्षय ऊर्जा
 - प्रोत्साहन योजना को लागू करने हेतु दशिया-नरिदेश
 - राष्ट्रीय हरति हाइड्रोजन मशिन के तहत टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के वतितपोषण हेतु दशिया-नरिदेश
- पर्यावरण
 - पर्यावरण (संरक्षण) नयिम, 1986 में संशोधन
- रक्षा
 - पाँचवीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची

केंद्रीय बजट 2024-25

केंद्रीय बजट 2024-25

वतित मंत्री ने 23 जुलाई, 2024 को 2024-25 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत कथि।

- **कर प्रस्ताव:** सूचीबद्ध इक्विटी शेयरो, इक्विटी म्यूचुअल फंडों और REIT/INVIT पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर को 15% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव है।
- सभी परसिंपत्ता श्रेणियों पर 12.5% की दर से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगाया जाएगा।
- संपत्ता, सोना और अन्य गैर-सूचीबद्ध परसिंपत्तियों के लिये दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना हेतु सूचकांक को हटा दिया जाएगा।
- **आयकर सलैब:** नई कर व्यवस्था के तहत आयकर सलैब को संशोधित कथि गया है।
- वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों के लिये मानक कटौती को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का प्रस्ताव है।
- **एंजल टैक्स:** गैर-सूचीबद्ध फंडों पर उनके शेयरो के अंकित मूल्य से अधिक राशिपर लगने वाला एंजल टैक्स हटा दिया गया है।
- **नीति प्रस्ताव:**
 - अगले पाँच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने की योजना शुरू की जाएगी।
 - रोजगार को बढ़ावा देने और श्रमबल की भागीदारी बढ़ाने के लिये तीन योजनाओं की घोषणा की गई।
 - इस वर्ष नई राजधानी के लिये आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की वतिततीय सहायता दी जाएगी।

मैक्रोइकोनॉमिक विकास

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24

वित्त मंत्री ने 22 जुलाई, 2024 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 प्रस्तुत किया।

सर्वेक्षण के मुख्य बंदियों में नमिनलखिति शामिल है:

- **सकल घरेलू उत्पाद (GDP):** आर्थिक सर्वेक्षण में 2024-25 में 6.5%-7% की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।
- वर्ष 2024-25 में मजबूत घरेलू निवेश मांग, बेहतर कृषि प्रदर्शन और माल एवं सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के कारण अधिक विकास की उम्मीद है।
- **मुद्रास्फीति:** वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% थी। कोविड-19 महामारी के बाद यह सबसे नचिला स्तर है।
- **कृषि विकास:** भारत के कृषि क्षेत्र ने पिछले पाँच वर्षों में 4.2% की वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्ज की है।
- वर्ष 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र में 9.5% की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 55% है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर:** सड़क और रेलवे जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2023-24 में तीन गुना वृद्धि देखी गई।
- **ऋण:** बढ़ती ब्याज दरों और बजट से कम नॉमिनल GDP वृद्धि के कारण वर्ष 2023-24 में सामान्य सरकारी ऋण-जीडीपी अनुपात थोड़ा बढ़ गया।

वित्त

ऐच्छिक और बड़े डफिल्टरों से निपटने के लिये दशा-नरिदेश

- भारतीय रज़िर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने RBI (ऐच्छिक डफिल्टर और बड़े डफिल्टर से निपटना) दशा-नरिदेश, 2024 जारी किया।
 - दशा-नरिदेश उधारदाताओं द्वारा उधारकर्ता को ऐच्छिक डफिल्टर के रूप में वर्गीकृत करने के लिये एक प्रक्रिया प्रदान करते हैं। प्रमुख विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल है:
- **ऐच्छिक डफिल्टर:** एक ऐच्छिक डफिल्टर का अर्थ है:
 - एक उधारकर्ता या एक गारंटर जसिने जानबूझकर कम-से-कम 25 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि, जसिने RBI अधिसूचित करे, का डफिल्टर किया है
 - अगर डफिल्टर कोई कंपनी है तो उस समय उससे संबंधित प्रमोटर और नदिशक
 - कंपनियों के अलावा कसिने इकाई के प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार व्यक्ति और उसके प्रभारी।
- बड़े डफिल्टर का अर्थ ऐसे डफिल्टर हैं जनि पर कम-से-कम एक करोड़ रुपए की बकाया राशि है और जसिके खाते को संदिग्ध या लॉस एकाउंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर दशा-नरिदेश जारी

- भारतीय रज़िर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर तीन संशोधित मास्टर दशा-नरिदेश जारी किया।
- ये नरिदेश नमिनलखिति पर लागू होते हैं:
 - वाणज्यिक बैंक और अखलि भारतीय वित्तीय संस्थान
 - सहकारी बैंक
 - गैर-बैंकिंग वित्ति कंपनियों।
- मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल है:
 - **धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन संरचना:** वनियमिति संस्थाओं के पास धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर उनके संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिये।
- नीति में नमिनलखिति प्रावधान होने चाहिये:
 - उस व्यक्ति को वसित्त कारण बताओ नोटिस जारी करना जसिके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप की जाँच की जा रही है।
 - व्यक्ति को नोटिस का जवाब देने के लिये कम-से-कम 21 दिन का समय।
 - खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के नरिणय के संबंध में व्यक्ति को एक तर्कसंगत आदेश देना।
 - तीन वर्ष में कम-से-कम एक बार इस नीति की समीक्षा की जानी चाहिये।
- **धोखाधड़ी का जल्द पता लगाना:** वाणज्यिक बैंकों, कुछ सहकारी बैंकों और मध्य और ऊपरी स्तर की NBFC के पास फ्रॉड रसिक मैनेजमेंट नीति के तहत प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की एक रूपरेखा होनी चाहिये।
- **धोखाधड़ी वाले खातों का उपचार:** रेड फ्लैग वाले खातों या धोखाधड़ी के संदेह के मामले में, वनियमिति संस्थाओं को अपनी नीति के अनुसार बाह्य या आंतरिक ऑडिट करना होगा।

शिक्षा

स्वतंत्र नकिया का गठन

- शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (National Education Policy- NEP) के कुशल कार्यान्वयन पर सरकार को सलाह देने के लिये शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन किया है।

परिषद नमिनलखिति कार्य करेगी:

- स्कूल और उच्च शिक्षा में एनईपी को लागू करने के लिए एक व्यापक रोडमैप विकसित करेगी।
- वर्तमान कार्यक्रमों का विश्लेषण करेगी और पाठ्यक्रम सुधार के उपायों का सुझाव देगी।
- केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को पुनर्जीवित करने के उपायों पर सुझाव देगी।
- परिषद मंत्रालय या शिक्षा से जुड़े अन्य संस्थानों को उन कषेत्रों के संबंध में भी सलाह देगी, जिन पर उन्हें इनपुट की आवश्यकता है।

मीडिया एवं प्रसारण

प्रसारण और केबल सेवाओं के लिये नयामक फ्रेमवर्क में संशोधन

भारतीय दूरसंचार वनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने प्रसारकों के लिये टैरिफ आदेश, इंटरकनेक्शन वनियम और सेवा गुणवत्ता वनियम में संशोधन किया है।

- संशोधित नयामों की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:
- शुल्क में परिवर्तन:** ब्रॉडकास्टरस द्वारा सब्सक्राइबर से नेटवर्क कैपेसिटी फीस (Network Capacity Fees- NCF) वसूलने की अधिकतम सीमा हटा दी गई है।
- दंड:** संशोधित वनियामक ढाँचे में प्रावधानों के उल्लंघन के लिये वित्तीय दंड का भी प्रावधान है।
- कैरिजि फीस में बदलाव:** कैरिजि फीस की गणना करने की विधि को सरल बनाया गया है।
- सेवा की गुणवत्ता (QoS) में संशोधन:** वनियामक ढाँचे में वभिन्न QoS मानकों में संशोधन किया गया है। इंस्टॉलेशन, एक्टिवेशन और रलोकेशन जैसी सेवाओं के लिए शुल्क को न्यंत्रणमुक्त कर दिया गया है।

खान

खानों और खनजिों पर कर लगाने की राज्य की शक्ति को बरकरार

- 8:1 के बहुमत के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने खनजि वहन करने वाली भूमि पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा है।
- भारत में खानों और खनजिों को मुख्य रूप से खान तथा खनजि (विकास और वनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957 के द्वारा वनियमित किया जाता है।
- न्यायालय ने कहा कि रॉयल्टी कोई कर नहीं है। यह एक भुगतान है जो खनजि अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिये संवदात्मक दायित्व से उत्पन्न होता है।
- न्यायालय ने यह भी माना कि बेशक, संसद के पास खान और खनन गतिविधियों को वनियमित करने की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति, खनजि अधिकारों पर कर लगाने की राज्य की शक्ति का स्थान नहीं ले सकती।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि भूमि पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति खानों और खदानों तक वसितारति है। ऐसी भूमि पर खनजि मूल्य या उत्पाद के आधार पर कर लगाया जा सकता है।

नवीन एवं अक्षय ऊर्जा

प्रोत्साहन योजना को लागू करने हेतु दशा-नरिदेश

- यह योजना हरति हाइड्रोजन संक्रमण कार्यक्रम (Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition Programme- SIGHT) के लिये रणनीतिक हस्तक्षेप का एक घटक है।
- यह कार्यक्रम भारत में इलेक्ट्रोलाइजर और हरति हाइड्रोजन के घरेलू वनिरिमाण को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र प्रदान करता है।
- दशा-नरिदेश की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
 - योजना की संरचना:** दूसरी कशित 4,50,000 मीटरकि टन (मीटरकि टन) हरति हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता आवंटित करती है।
 - उत्पादन के लिये प्रोत्साहन:** एगोनसिटकि पाथवे के माध्यम से उत्पादन के लिये न्यूनतम बोली 10,000 मीटरकि टन है जबकि अधिकतम बोली की अनुमत 90,000 मीटरकि टन है।
 - बोलीकरता की पात्रता:** बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिये बोलीकरता की कुल संपत्ति टेक्नोलॉजी एग्नोसिटकि पाथवे के तहत उद्धृत उत्पादन क्षमता के प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपए प्रति हज़ार मीटरकि टन से अधिक होनी चाहिये।

राष्ट्रीय हरति हाइड्रोजन मशिन के तहत टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण हेतु दशा-नरिदेश

- ग्रीन हाइड्रोजन मशिन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्नों के उत्पादन, उपयोग और नरियात का वैश्विक केंद्र बनाना है।
 - इस योजना के लिये वर्ष 2025-26 तक कुल 200 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- परीक्षण अवसंरचना को समर्थन देने की योजना में नमिनलखिति शामिल होंगे:
 - मौजूदा टेस्टिंग केंद्रों की कमी को चहिनति करेगी, उनके अपग्रेडेशन के लिये धनराशि देगी और टेस्टिंग हेतु नए केंद्र बनाएगी।
 - हरति हाइड्रोजन के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियों को मान्य और प्रामाणित करेगी।
 - वशिव स्तरीय टेस्टिंग केंद्रों की स्थापना हेतु नजि और सरकारी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी।

पर्यावरण

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में संशोधन

ये नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी किये गए हैं। इस अधिनियम को जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित किया गया। 2023 अधिनियम ने 1986 अधिनियम के तहत कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया।

- इनमें नरिधारति मानकों से अधिक प्रदूषक उत्सर्जति करना, अपेक्षति सूचना न देना तथा अधिनियम के तहत जारी नरिदेशों का उल्लंघन करना शामिल है।
- इसमें अपराधों के न्यायनरिणयन और दंड नरिधारण के लिये एक न्यायनरिणयन अधिकारी की नयिकृताका प्रावधान है।
- यह पर्यावरण संरक्षण कोष की भी स्थापना करता है।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत लगाए गए जुर्माने इस कोष में जमा किये जाएंगे।
- मसौदा नयिमों का उद्देश्य इन प्रावधानों को प्रभावी बनाना है।

रक्षा

पाँचवीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची

रक्षा मंत्रालय ने 346 वस्तुओं वाली पाँचवीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचति की है। इन वस्तुओं में वभिन्नि प्रणालियाँ, उप-प्रणालियाँ, पुरजे और कच्चे माल शामिल हैं, जनिका चरणबद्ध तरीके से स्वदेशीकरण किये जाएंगे। इनका कुल आयात प्रतस्थापन मूल्य 1,048 करोड़ रुपए है। इन वस्तुओं का उत्पादन रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा घरेलू स्तर पर किये जाएंगे।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prs-july-2024>

